प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर** वर्ष **2024** प्र0सू0रि0 सं. .....54/2024.दिनांक.....2/4/2024
2. (I) अधिनियम .....**7, 8, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018)**
   (II) अधिनियम ...भा0द0स0 ....धारायें **420, 467, 468 व 120बी भा.द.सं.**
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....23.....समय 7:00 PM
   (ब) अपराध घटने का दिन **रविवार** दिनांक **31.03.2024 समय 10.38 पीएम.**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक- **29.03.2024**....समय- 3:15PM
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक गोपनीय सूत्र **सूचना**
5. घटनास्थल:- **चन्दु चौपाटी, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर.....**

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- **करीब 10 किलोमीटर बजानिब दिशा पश्चिम**

(ब) पता-
बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
   (अ) नाम :- **श्री राजेश दुरेजा, उप अधीक्षक पुलिस, प्रभारी तकनीकी शाखा भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर।**
   (ब) पिता/पति का नाम -
   (स) जन्म तिथी/वर्ष -
   (द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय- **सरकारी नौकरी**
   (ल) पता-
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : -
   1. श्री गौरव सिंह राठौड़ पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह, उम्र 33 साल, निवासी 13/239, कावेरी पथ, नियर अमित बाल विद्या मन्दिर स्कूल, पुलिस थाना वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मानव अंग प्रत्यारोपण विभाग, एसएमएस अस्पताल जयपुर
   2. श्री अनिल कुमार जोशी पुत्र श्री सीताराम जोशी, उम्र 30 साल निवासी ग्राम आभानेरी, पुलिस थाना बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा वर्तमान किरायेदार मकान नं. 1165, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर हाल ट्रान्सप्लान्ट कोर्डिनेटर मेल नर्स, ईटरनल होस्पीटल (ईएचसीसी), जवाहर सर्किल, जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति)
   3. श्री विनोद सिंह पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 43 साल, निवासी- प्लाट नम्बर 10, सरस्वती कॉलोनी, पुलिस थाना-सांगानेर, जयपुर हाल मानव अंग प्रत्यारोपण कॉडिनेटर, फोर्टिस अस्पताल जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति)
   4. अन्य लोक सेवक एवं प्राईवेट व्यक्ति

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.... कोई नही.
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) 70,000/- रूपये
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....70,000/- **रूपये**
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 29.03.2024 को श्री राजेश दुरेजा, उप अधीक्षक पुलिस, प्रभारी तकनीकी शाखा भ्रनिब्यूरो, जयपुर द्वारा श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को एक गोपनीय सूत्र सूचना रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ''भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों को सवाई मानसिंह चिकित्साल्य के उच्च प्रबंधन से जुडे उच्चाधिकारी से एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि ''सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर में लिपिकीय पद पर पदस्थापित श्री गौरव सिंह द्वारा निजी चिकित्सालयों में अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी चिकित्सा के लिये सवाई मान सिंह चिकित्सालय के चिकित्सकों के फर्जी हस्ताक्षर कर सम्बन्धित चिकित्सालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है और निजी चिकित्सालयों के सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से मिलीभगत कर नियमित रूप से रिश्वत प्राप्त की जा रही है।'' प्राप्त सूचना अमानक परिस्थितियों में मानव अंग प्रत्यारोपण जैसे गंभीर विषय से उत्पन्न हो रहे लोक सुरक्षा के संभावित खतरे से सम्बन्धित होने के मध्यनजर तकनीकी शाखा द्वारा सम्बन्धित लिपिक गौरव सिंह द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. 63787-56633 का तकनीकी विश्लेषण किया जाकर, सूचना के अन्य तथ्यों का भी गोपनीय सत्यापन किया गया तो प्राप्त सूचना की पुष्टि हुई। जिस पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 63787-56633 को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त अन्तावरोध पर लिया जाकर श्री लक्ष्मणनारायण शर्मा, हैडकानि. 15 द्वारा सुना गया। अन्तावरोध अवधि की वार्ताओं को सुनने से यह प्रकट हुआ कि श्री गौरव सिंह, जो कि सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर में लिपिक पद पर कार्यरत है, के द्वारा सवाई मान सिंह चिकित्सालय में मानव अंग प्रत्यारोपण के प्रकरणों को निजी चिकित्सालयों में भेजे जाने के लिये जारी किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में नियमित रूप से निजी चिकित्सालयों के उत्तरदायी व्यक्तियों से मुलाकात की जाकर, आपसी मिलीभगत से, निर्धारित मानकों का उल्लघंन कर, अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार किये जाकर, सम्बन्धित निजी चिकित्सालयों को भारी मात्रा में अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है तथा इस अवैध कार्य की एवज में स्वयं द्वारा नियमित रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है तथा यह भी संभावना है कि कुछ प्रमाण पत्रों की कूटरचना भी की गई है और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर निजी चिकित्सालयों में अमानक रूप से मानव अंग प्रत्यारोपण करवाये जा रहे है। वार्ताओं तथा गोपनीय सत्यापन से उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होने पर सम्बन्धित संलिप्त व्यक्ति श्री अनिल द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. 9694005925 तथा श्री विनोद सिंह द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. 9414930402 व 9828321580 को भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त नियमानुसार अन्तावरोध पर लिया गया।

प्रकरण से सम्बन्धित अन्तावरोध अवधि में श्री गौरव सिंह एवं अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों से की गई संदिग्ध वार्ताओं का सार निम्नानुसार है :-

1. दिनांक 12.03.2024 को समय 15:50:39 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा श्री गिरीराज के मोबाईल नं. 9462146109 के मध्य की गई वार्ता में गौरव सिंह कहता है कि ''गिरीराज भैया, प्रिसिंपल साहब के साईन सुबह होंगे, बाकी सब के हो गये।'' जिस पर गिरीराज कहता है कि ''कल हो जायेंगे ना'' तो गौरव सहमति देता है, इस पर गिरीराज मुलाकात के बारे में पूछता है तो गौरव कहता है कि वह साढे बारह बजे पहुंच जायेगा, तो गिरीराज पूछता है कि ''फिर मुझे एनओसी कब दोगे ?'' तो गौरव बारह बजे बुलाता है।

2. दिनांक 12.03.2024 को समय 16:17:29 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा श्री अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 के मध्य की गई वार्ता में गौरव सिंह, अनिल को अपडेट देता है कि उसके द्वारा दिया गया काम उसने करवा लिया है, केवल फोटो की आवश्यकता है, तो अनिल, अमित के साथ भेजना बताता है, तत्पश्चात् अनिल डेट खाली रखने का पूछता है तो गौरव सिंह बताता है कि हां उसने डेट खाली ही रखी है और वह दस्तावेज साहब के लॉकर में रख रहा है, इस पर अनिल कहता है कि मेरे आगे बात हो गई है, मेरे पास वो आ भी जायेगा और मै कल तक आपको दे भी दूंगा तो एक काम करना आप साहब के पास मत रखना, आपके पास रख लेना। तत्पश्चात् गौरव सिंह पूछता है कि ''कविता जो बांग्लादेशी मरीज की फाईल भेज रही है, वो किस वैण्डर के है ?'' तो अनिल कहता है कि मुझे पता करना पडेगा लेकिन मैने ये काम छोड दिया, होता सब काम मेरे अंडर में ही है तो गौरव सिंह कहता है कि ''इन मरीजों के नाम मुझे आज ही पता करना है तो इनको किसी के फोन से फोन करके पता कर लेंगे'' तो अनिल सहमति देता है। गौरव सिंह मरीजों की फोटों भेजने और नाम पता करने के लिये कहता है तो अनिल कोशिश करने का आश्वासन देता है।

3. दिनांक 12.03.2024 को समय 16:34:08 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा श्री विनोद के मोबाईल नं. 9828321580 के मध्य की गई वार्ता में विनोद **ईएचसीसी** से सम्बन्धित तीनों फाईलें क्लीयर करने के लिये कहता है, तो गौरव सिंह कहता है कि कंहा के है, तो विनोद बताता है कि ईएचसीसी बताता है, इस पर गौरव सिंह सहमति देता है, तत्पश्चात् विनोद पूछता है कि अभी भेज सकते हो क्या तो गौरव कहता है कि ठीक है, भेजता हूँ, फिर पूछता है कि आप वाली फाईल ? तो विनोद कहता है कि मेरी वाली फाईल तो मै ही लेने आउंगा तो गौरव सिंह कहता है कि थोडा लेट आना, व्यस्त रहूंगा तो विनोद सहमति देता है।

4. दिनांक 12.03.2024 को समय 16:36:16 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा श्री विनोद के मोबाईल नं. 9828321580 के मध्य की गई वार्ता में गौरव सिंह पूछता है कि सबका आपके पास ही है ना ? तो विनोद कहता है कि तीन का है, तो गौरव पुन: कन्फर्म करता है कि आपके पास ही है ना ? तो विनोद कहता है इसलिये ही बोल रहा हूँ, तो गौरव कहता है कि आपके फोन का मतलब मै समझ गया, बाकी बात आप आओगे तब मिलकर कर लेंगे तो विनोद सहमति देता है।

5. दिनांक 13.03.2024 को समय 11:57:50 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा श्री विनोद के मोबाईल नं. 9414930402 के मध्य की गई वार्ता में गौरव सिंह 5 तारीख को दी गई एनओसी के डिस्पेच नम्बर पूछता है तो विनोद कहता है कि वह आज अवकाश पर है, जाकर ही बता पायेगा। तत्पश्चात् विनोद पूछता है कि तीन एनओसी भिजवा दी क्या ईएचसीसी ? तो गौरव बताता है कि ''अभी अमित आयेगा लेने'' और गौरव कहता है कि ''कल उसमें पांच हजार कम थे'' तो विनोद कहता है कि ''अच्छा कम थे ?'' तो गौरव कहता है कि ''हाँ'' जिस पर विनोद कहता है कि ''कोई नहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हैं'' तत्पश्चात् गौरव कहता है कि ''दो फाईलें और मांग रही है वो'' तो विनोद कहता है कि ''मै यस करूं तब करना'' तो गौरव सहमति देता है।

6. दिनांक 20.03.2024 को समय 14:51:05 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा श्री अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 के मध्य की गई वार्ता में अनिल, गौरव से किसी मरीज के ट्रांसप्लांट की एनओसी के सम्बन्ध में वार्ता करते हुए पूछता है कि कैसे करें ? तो गौरव कहता है कि आप बताओ, मेरे तो दस हजार भी बच जाये तो, इस पर अनिल कहता है कि इस केस में एक इश्यु ये आयेगा कि इसका डोनर देहली का है और देहली की एनओसी का कैसे बैठेगा तो गौरव कहता है कि वहां से तो मिलती है नही, इस पर अनिल सहमति देता है, जिस पर गौरव कहता है कि या तो वो जो डुप्लीकेट बनती है वो बनवानी पडे या फिर कन्वर्ट करे। तत्पश्चात् गौरव कहता है कि इसमें पैसा तो देना पडेगा देखो, मेरा तो चाहे नहीं दो क्योंकि मेरे में तो आप मांगते हो वो भरवा दूंगा मै, आप अपना देख लो और इन लोगो का देख लो चारों का, इस पर अनिल कहता है कि आप बताओ, वो तो कह रहा है कि तीन साढे तीन तक फाईनल करवाओ, इस पर गौरव कहता है कि एक बात बताओ बॉस, तीन साढे तीन में तो कैसे होगा, इनको दोगे या आप रखोगे। इस पर अनिल कहता है कि कोई बात नहीं जब अपने को कोई फायदा नहीं है तो रिस्क लेने से क्या मतलब है। तो गौरव कहता है कि ये चार जने है, अपन इनको थोडा कम कर सकते है, पिछली बार वाले में इनको अपन ने साढे पांच किये थे, इस बार कम से कम चार दे देंगे, तो अनिल कहता है कि फिर चार इनको देंगे तो अपने तो कुछ बचेगा ही नहीं, जिस पर गौरव कहता है कि इनको कम से कम छः का बोलो, तो अनिल कहता है कि कोई कंडीशन ही नहीं, फिर तो केन्सिल ही करते है, गौरव कहता है कि देख लो आप जो इतना लिखेगा, करेगा वो इतना तो लेगा ही, ज्यादा से ज्यादा अपन तीन का कह सकते है। जिस पर गौरव कहता है कि जब अस्पताल का करेगा तो दो और कर देगा आपका, इस पर अनिल कहता है वो तो है ही, लेकिन वो इतना नहीं कर पायेगा। तत्पश्चात् गौरव कहता है कि कल मै एक बार सर से बात कर लेता हूँ, तो अनिल सहमति देता है।

7. दिनांक 21.03.2024 को समय 16:42:05 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा लखानी जी के मोबाईल नं. 9372516038 के मध्य की गई वार्ता में लखानी जी पूछता है कि हो गया क्या है सर ? तो गौरव बताता है कि हो गया है

लेकिन वो कार्यालय समय के बाद अस्पताल परिसर के बाहर ही आकर देगा, साथ ही लखानी को अस्पताल के लिये रवाना होने के लिये कहता है।

8. दिनांक 21.03.2024 को समय 17:33:31 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा लखानी जी के मोबाईल नं. 9372516038 के मध्य की गई वार्ता में गौरव कहता है कि अन्दर नहीं आना है तथा अस्पताल के बाहर रोड पर मिलने के लिये बुलाता है। तत्पश्चात् 17:52:19 पर हुई वार्ता में भी गौरव, लखानी को ऑटो में बैठकर ही दस्तावेज चैक करने के निर्देश देता है और अस्पताल के आसपास नहीं पढने के लिये कहता है, साथ ही स्वयं का बचाव करने के लिये लखानी को कहता है कि उसके छोटा बच्चा है और उसने मदद की है, वार्ताओं से स्पष्ट है कि श्री गौरव सिंह द्वारा स्वयं का स्थानान्तरण होने के उपरान्त भी एन.ओ.सी. दस्तावेज दिया जा रहा है और यह भी सावधानी बरती जा रही है कि इसकी जानकारी अस्पताल के अन्य कार्मिको को नहीं हो कि वह ऐसा कर रहा है।

9. दिनांक 21.03.2024 को समय 18:39:25 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा लखानी जी के मोबाईल नं. 9372516038 के मध्य की गई वार्ता में लखानी, गौरव द्वारा उसे दिये गये सर्टिफिकेट में गल्ती हो जाना बताता है और कहता है कि दो पेशेन्ट में से एक पेशेन्ट का उदयपुर का एड्रेस तो सही है किन्तु चिराग लखानी में भी गौरव द्वारा वहीं एड्रेस कर दिया गया है, तो गौरव कहता है कि टाईपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा हो गया है, वह इन सर्टिफिकेट को लेकर सुबह आ जाये, वो उसे 10 मिनट में नये सर्टिफिकेट दे देगा। इसी क्रम में समय 18:50:15 पर दोनो के मध्य पुनः हुई वार्ता में भी लखानी, गौरव को सर्टिफिकेट में अन्य त्रुटियों की और भी ध्यान दिलाता है तो गौरव सही करने का आश्वासन देते हुए साढे ग्यारह बजे आने के निर्देश देता है।

10. दिनांक 21.03.2024 को समय 22:24:41 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा लखानी जी के मोबाईल नं. 9372516038 के मध्य की गई वार्ता में लखानी, गौरव से कहता है कि **दस्तावेजों में चिराग की प्रजेन्स नहीं दिखा रहे है जबकि दिलीप की प्रजेन्स दिखा रहे है** और बोम्बे के लोग पागल लोग है तो अपन दोनो की ही प्रजेन्स दिखा दे तो सही रहेगा, इस पर गौरव कहता है कि वह दस्तावेजो में जैसा चाह रहे है वैसा लिख देगा, लेकिन बोम्बे में किसी को बताया तो नहीं, इस पर लखानी कहता है कि यह प्योर कॉन्फिडेन्सियल है सर, मैने तो डॉक्यूमेंटस् की फोटो भी नहीं ली है। वार्ता से स्पष्ट है कि गौरव सिंह, मानव अंग प्रत्यारोपण हेतु निर्धारित मापदण्डों की खुलेआम अवहेलना कर देता है, मिथ्या सूचनायें दस्तावेजों में अंकित करता है और **सम्बन्धित लाभान्वितों के चाहे अनुसार ही दस्तावेजों की कूटरचना कर देता है।**

11. दिनांक 22.03.2024 को समय 10:53:36 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा लखानी जी के मोबाईल नं. 9372516038 के मध्य की गई वार्ता में लखानी, गौरव को अस्पताल में आने के बताता है तो गौरव पुराने सर्टिफिकेट के बारे में पूछता है तथा उसे लेकर फोटोकॉपी मशीन के पास बुलाता है। वार्ता से स्पष्ट है कि

गौरव सिंह, लखानी को दिये गये सर्टिफिकेट में गलत सूचनायें अंकित कर देता है और लखानी के द्वारा ध्यान में लाये जाने पर पुराने दस्तावेज प्राप्त कर उनके स्थान पर नये दस्तावेज दे देता है।

12. दिनांक 22.03.2024 को समय 13:25:44 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा श्री अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 के मध्य की गई वार्ता में अनिल, गौरव से पूछता है कि दो फाईलें है जो मंडे को रेडी होगी, अर्थात् उनकी डिटेल मंडे को आ जायेगी जिस पर गौरव सिंह कहता है कि कोई बात नहीं मै आज ही बना दूंगा। तत्पश्चात् अनिल कहता है कि सर आपका ट्रांसफर हो गया अब दिक्कत तो नहीं होगी, तो गौरव झूठ बोलकर अनिल को आश्वस्त करता है कि उसका तो प्रमोशन हुआ है और उसकी सीट का जो काम है, वो अब अश्विनी नामक व्यक्ति करेगा लेकिन अधीन रहेगा तो फाईल उसी के पास आयेगी तो अनिल कहता है कि वह तो डर गया था कि अब काम कैसे होगा और बधाई देता है। तत्श्चात् गौरव पुनः दो नये केस का पूछता है तो अनिल कहता है कि मंडे को ले लूंगा डिटैल, इस पर गौरव कहता है कि भैया आज ही बना दूंगा सर्टिफिकेट तो मंडे को आते रहेंगे डॉक्यूमेंट, तो अनिल कहता है इसका मतलब अपन बाद की डेट डाल लेंगे आज वाले सर्टिफिकेट की तरह, इस पर गौरव सहमति देता है। तत्पश्चात् अनिल पुराने सर्टिफिकेट और फोटोज अमित के साथ भेजने के लिये कहता है तो गौरव कहता है कि भेज दो वह पुराने डेस्ट्रोय कर देगा और नये दे देगा। साथ ही नये की डिटैल आने पर वो भी भेजने के लिये कहता है। वार्ता से स्पष्ट है कि गौरव सिंह द्वारा बिना दस्तावेज प्राप्त हुए, बिना सत्यापन के और बिना नियमों की पालना के केवल वाट्सअप पर सूचनायें प्राप्त कर उन सूचनाओं को सर्टिफिकेट में भरा जाकर फर्जी तरीके से एन.ओ.सी.सर्टिफिकेट बनाये जा रहे है।

13. दिनांक 22.03.2024 को समय 13:45:46 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा श्री अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 के मध्य की गई वार्ता में गौरव, अनिल को कहता है कि अभी सर से बात हुई थी, उन्होनें कहा हमारे यहां जो चल रहा है ना, उसको कह दो कि खाली एड्रेस डाल दो, मैं आज ही साईन कर देता हूँ, तो अनिल कहता है कि ठीक है बॉस, जिस पर गौरव कहता है कि उससे फोटो मंगवा लो, **पेमेन्ट वगैरह क्लीयर के लिये बोल दो,** ये क्या है कि ट्रैनिंग के बाद आपको दिक्कत आयेगी आपको, इस पर अनिल कहता है कि ठीक है बॉस मै करता हूँ, फिर गौरव कहता है कि उसको बोलो **शाम को पेमेन्ट रेडी रख और एनओसी लाकर दे दूंगा,** एड्रैस और फोटो भेज दो इसके साथ, तो अनिल सहमति देता है। वार्ता से स्पष्ट है कि गौरव सिंह, अनिल के साथ मिलीभगत कर सम्बन्धित लाभान्वितों से रिश्वत प्राप्त कर दस्तावेज, सत्यापन किये बिना ही नियमों की अवहेलना करते हुए फर्जी एनओसी जारी कर रहा है।

14. दिनांक 22.03.2024 को समय 13:47:37 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा श्री अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 के मध्य की गई वार्ता में गौरव, अनिल को उसके आदमी को साढे तीन तक टाईम पर भेज देना और **वो जो**

Suresh

कमिटमेंट हुआ है अभी अपना, उस पर ही रहना आप तो इस पर अनिल सहमति देता है।

15. दिनांक 22.03.2024 को समय 14:10:41 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा श्री गिर्राज के मोबाईल नं. 9799593259 के मध्य की गई वार्ता में गौरव द्वारा उसके मरीज का नाम पूछने पर गिर्राज द्वारा बताया जाता है मोजलिशा खातून है तो गौरव कहता है कि इसकी फोटो खो गयी, आप इसकी एनओसी और वो फॉर्म 21 वाट्सअप कर दो और आप आओ तब फोटो लेते हुए आना।

16. दिनांक 22.03.2024 को समय 14:50:01 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा श्री गिर्राज के मोबाईल नं. 9799593259 के मध्य की गई वार्ता में गौरव, गिर्राज को ऑफिस बुलाता है तो गिर्राज एक घंटे का समय लगाने का बोलता है, तत्पश्चात् गिर्राज, अनिल को बाहर ही मिलने के लिये कहता है, इस पर गौरव कहता है कि फोटो कैसे चिपकायेंगे और सील, इस पर गिर्राज कहता है कि वो चिपकाने के लिये ले आयेगा और सील साथ लाने के लिये कहता है और बाहर ही एनओसी सर्टिफिकेट तैयार कर लेने की सलाह दी जाती है, जिस पर गौरव अपने बच्चे को लेकर घर छोडने के बाद मुलाकात के लिये कहता है। वार्ता से स्पष्ट है कि गौरव सिंह मानव अंग प्रत्यारोपण से सम्बन्धित एनओसी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को कार्यालय के बाहर ही किस प्रकार से फर्जी तरीके से तैयार कर सम्बन्धित निजी चिकित्सालयों के अधिकारियों को दिया जा रहा है और उसके इस कार्य के सम्बन्ध में निजी चिकित्सालयों के उत्तरदायी अधिकारी पूर्णत: भिज्ञ है और षडयंत्र में सम्मिलित है।

17. दिनांक 22.03.2024 को समय 15:43:12 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा श्री अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 के मध्य की गई वार्ता में, दोनो के मध्य हुई पूर्व की वार्ताओं के क्रम में अनिल, गौरव को बताता है कि उसके द्वारा बताये गये व्यक्ति के दस्तावेज तो अभी एम्बेसी से ही प्राप्त नहीं हुए है अर्थात् मरीज भारत से बाहर का व्यक्ति है और उसके उपचार दस्तावेज अभी एम्बेसी से प्राप्त नहीं हुए है, इस पर गौरव कहता है कि उनके द्वारा वो सूचना अभी नहीं डाली जायेगी बल्कि वो हिस्सा खाली छोड देंगे बाकि सूचना, पता भर देंगे, तो अनिल कहता है कि ये दस्तावेज बाद में तैयार नहीं कर सकते क्या ? तो गौरव 26 तारीख को होने वाली मीटिंग का भय दिखाकर कहता है कि उसके बाद एनओसी में मुश्किल आ सकती है तो इसलिये ही उसे सर ने कहा है कि मुझसे आज ही साईन करवा लो, तो अनिल कहता है कि मै डिटैल ले रहा हूँ और शाम तक हमारा कर दे। तत्पश्चात् अनिल कहता है कि सम्बन्धित लाभान्वित के मन में भय है कि अभी तो एम्बेसी से ही सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो गौरव कहता है कि बाद में मुश्किल हो सकती है इसलिये आज ही करवा लो, तो अनिल कहता है कि बाद में सर्टिफिकेट में कोई गल्ती रहने पर करेक्शन तो करवा दोगे ? इस पर गौरव कहता है कि बिल्कुल करवा दूंगा, तत्पश्चात् अन्य एनओसी के लिये वार्ता करते है और गौरव पुन: पूछता है कि वह सर को कन्फर्म बोल दे ना ? तो अनिल आश्वस्त करते हुए कहता है कि आप तो कन्फर्म ही कर दो सर को। इस वार्तालाप से स्पष्ट है कि भारत से बाहर के मरीज के दस्तावेज जो एम्बेसी से भी क्लीयर नहीं हुए है, उन

मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी एनओसी को भी किस प्रकार फर्जी तरीके से तैयार किये जाने का षडयंत्र रचा जा रहा है।

18. दिनांक 22.03.2024 को समय 15:57:15 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा श्री अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 के मध्य की गई वार्ता में गौरव नाराजगी जताते हुए एड्रैस मांगता है कि एड्रैस तो भेजो क्या लिखूं इसमें तो अनिल 2 मिनट का समय मांगता है।

19. दिनांक 22.03.2024 को समय 16:10:51 पर श्री अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 तथा अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 8426929163 के मध्य की गई वार्ता में अनिल दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि वो हो गये क्या ? तो दूसरा व्यक्ति पूछता है कि कल भेज दे क्या या आज ही भेजने होंगे ? तो अनिल कहता है कि आज ही भेज दो, बाकी उससे बाद में बात कर लेंगे, इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि बाद में कोई कमी रही तो वो ठीक कर देगा तो अनिल कहता है कि हां, वो सब हो जायेगा, अभी वो सिस्टम पे ही बैठा है, इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि अभी तो उसके पास फोटो भी नहीं आई है, तो अनिल फोटो के लिये पूछने का कहता है, इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि फोटो बिना तो एनओसी कैसे जारी होगी ना ? तो अनिल कहता है कि वो पूछकर बतायेगा।

20. दिनांक 22.03.2024 को समय 16:12:19 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा श्री अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 के मध्य की गई वार्ता में अनिल गौरव को कहता है कि सम्बन्धित मरीज की फोटो भी नहीं है उसके पास, तो गौरव कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे के ऐसे ही साईन करवा देंगे, जिस पर अनिल सूचना भेजने के लिये कहता है और गौरव फटाफट बनवाने का आश्वासन देता है। इस वार्तालाप से स्पष्ट है कि **भारत से बाहर के मरीज के दस्तावेज जो एम्बेसी से भी क्लीयर नहीं हुए है और ना ही उसकी फोटो अभी प्राप्त हुई है, किन्तु गौरव सिंह और अनिल द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी एनओसी को भी किस प्रकार फर्जी तरीके से तैयार किये जाने का षडयंत्र रचा जा रहा है।**

21. दिनांक 22.03.2024 को समय 16:12:58 पर श्री अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 तथा अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 8426929163 के मध्य की गई वार्ता में अनिल दूसरे व्यक्ति को केवल सूचना भेजने के लिये कहता है और गौरव से हुई बात का अपडेट बताते हुए कहता है कि बिना फोटो एनओसी बनवा लेंगे, फोटो बाद में लग जायेगा, इस पर दूसरा व्यक्ति आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है कि बिना फोटो एनओसी कैसे जारी हो जायेगा यार, तो अनिल समझाते हुए कहता है कि उसमें जो कमेटी के पाँच सदस्यो के साईन होते है उसी में दिक्कत आती है, बाकी दिक्कत नहीं आती है, इस पर दूसरा व्यक्ति कल भेजने के लिये कहता है, तो अनिल बताता है कि तीन दिन का अवकाश है फिर नहीं होगा, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि बिना फोटो होगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इस पर अनिल कहता है कि वो तो वो करवा कर देगा, उसकी गारंटी है ये तो। तत्पश्चात् दूसरा व्यक्ति बिना फोटो सूचना भेजने का कहता है और पुनः पुष्टि के लिये पूछता है कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इस पर अनिल बताता है कि **उसका**

बॉस है ना उसने कहा है कि आज ही साईन करवा लो, बाकी सील साईन तो अपनी जिससे बात हो रही है वो ही कर देता है तो दूसरा व्यक्ति पांच बजे से पहले सूचना भेजने की सहमति देता है।

22. दिनांक 22.03.2024 को समय 16:21:17 पर श्री अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 तथा अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 8426929163 के मध्य की गई वार्ता में दूसरा व्यक्ति अनिल से अपने भाई की बात करता है और उसका संदेह दूर करने के लिये कहता है, अन्य व्यक्ति पूछता है कि अगर डी मैच नहीं हुआ तो फोटो चेंज करना पडेगा ना, तो अनिल कहता है कोई दिक्कत नहीं वो भी हो जायेगा। तत्पश्चात् अनिल कहता है कि मुझे जरा सा भी वीक पॉईन्ट लगता ना तो अपन नेक्स्ट कदम लेते ही नहीं, अभी सारी चीजें मैनेज कर सकते है अपन, आपको घर की बात बताउं की कमेटी के सदस्यों में से किसी का ट्रांसफर होगा तो एक भी मेम्बर का ट्रांसफर हो गया तो अपना मैनेज करना मुश्किल होता है तो दूसरा व्यक्ति सहमति देता है।

23. दिनांक 22.03.2024 को समय 18:54:15 पर श्री अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 तथा अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 8240001381 के मध्य की गई वार्ता में दूसरा व्यक्ति, अनिल को एनओसी की पुन: जांच के लिये कहता है, तो अनिल कहता है कि उसकी 7:30 बजे मुलाकात होगी, इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि सर देख लेना कहीं हमको प्रॉब्लम नहीं आ जाये तो अनिल आश्वस्त करते हुए कहता है कि मैं हूँ तो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, अपन विथ प्रूफ के साथ काम करते है।

24. दिनांक 22.03.2024 को समय 21:24:34 पर श्री अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 तथा अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 8426929163 के मध्य की गई वार्ता में अनिल दूसरे व्यक्ति को उसका वाट्सअप चैक करने के लिये कहता है।

25. दिनांक 22.03.2024 को समय 21:26:38 पर श्री अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 तथा अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 8426929163 के मध्य की गई वार्ता में दूसरा व्यक्ति कहता है कि दस्तावेज में वार्ड नं. भिन्न लिख दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अनिल कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं ही देखूंगा। तत्पश्चात् दूसरा व्यक्ति कहता है कि आज ही की डेट है ना 22, तो अनिल कहता है कि आज ही की डेट है, आज ही की डेट में मीटिंग करवाई है तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि ठीक है। तत्पश्चात् अनिल कहता है कि और वो दूसरा दो का बोला है न, वो कल भेज दूंगा मैं, बाकी आप उसको प्रिपेयर कर लो, जितना आपको लगे सूटेबल तरीके से, वो अपन देख लेंगे, इस पर दूसरा व्यक्ति सहमति देता है। वार्तालाप से स्पष्ट है कि अनिल द्वारा गौरव सिंह से प्राप्त फर्जी तरीके से तैयार की गई एनओसी सम्बन्धित लाभान्वित को भेजी गई है और चैक करवाई गई है, साथ ही इन दस्तावेजों की जाँच खुद के द्वारा ही किये जाने का आश्वासन दिया जाता है कि उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वार्ता के अन्त में इशारे में समझाया जाता है कि **सम्बन्धित मरीज को प्रिपेयर करके जितना भी सूटेबल हो प्राप्त कर ले।**

26. दिनांक 26.03.2024 को समय 14:13:21 पर श्री गौरव सिंह के मोबाईल नं. 6378756633 तथा अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 के मध्य की गई वार्ता में गौरव सिंह, अनिल से सीफू में आयोजित मीटिंग के बारे में वार्ता करता है। वार्ता में अनिल, गौरव से कहता है कि वो डिस्पेच वाले नम्बर भेज देते, इस पर गौरव कहता है कि अरे यार डिस्पेच नम्बर रह गये, चलो आप तो तारीख बता देना, वो आपके वाले तो मेरे बैग में ही पडे है वो, इस पर अनिल कहता है कि उनकी भी फोटो भेज देना तो मै उसको कह दूंगा वो पेमेन्ट दे यार, कल करवाता हूँ दोनो का, तो गौरव कहता है कि कोई दिक्कत नहीं शाम तक करवा देना, आज तो सर भी नहीं है, कल सुबह आयेंगे। तत्पश्चात् अनिल कहता है कि उधर जाओ तो ये काम करवा देना, तो गौरव करवाने का आश्वासन देकर शाम को मुलाकात के लिये कहता है। वार्ता से स्पष्ट है कि अनिल, पूर्व से तैयार एनओसी जो गौरव के बैग में रखी है, उनका फोटो भेजने के लिये कह रहा है, जिससे वह सम्बन्धित व्यक्ति से उनका पेमेन्ट प्राप्त कर गौरव सिंह को दे सके।

27. दिनांक 28.03.2024 को समय 14:57:32 पर श्री अनिल के मोबाईल नं. 9694005925 तथा अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 8240001381 के मध्य की गई वार्ता में अनिल, अन्य व्यक्ति को एसएमएस में पदस्थापित गौरव के ट्रांसफर होने तथा उसके स्थान पर अश्विनी के आने की सूचना देता है। इस पर अन्य व्यक्ति, अनिल से पूछता है कि उसका भी पैसे का रिक्वायर होगा क्या ? तो अनिल कहता है कि कैसे ना कैसे बैठाना पडेगा, इस पर अन्य व्यक्ति बताता है कि बैठाओ, वरना आगे क्या होगा। तत्पश्चात् अनिल कहता है कि वो दो का अपने का जल्दी करवाना पडेगा, तो अन्य व्यक्ति कहता है कि मै तीन दिन में फोटो वगैरह सब कर दूंगा, साथ ही यह भी पूछता है कि आप जब फाईल लेकर जाते हो तो सीधा गौरव को ही देते हो ना हाथ में, हास्पिटल में थोडे ही करते हो तो अनिल कहता है कि उसमें दो-तीन लोग इन्वॉल्व है, अभी सारा सिस्टम सैटल है, ये थोडा हाईलाईट हो गया इसलिये ये चेंज हो गया। इस पर अन्य व्यक्ति जल्दी सारा सैटल करने का निवेदन करता है। तत्पश्चात् अनिल पुनः दो का जल्दी करने को कहता है क्योंकि हैडऑवर होगा तो अन्य व्यक्ति कहता है कि मै बात करता हूँ, इनका तो मै ही दे दूंगा, साथ ही बाद में निर्बाध रूप से यहीं व्यवस्था बनाये रखने का कहता है। तत्पश्चात् अनिल से यह भी पुष्टि करता है कि अभी तो आपको केश ही चाहिये ना, डॉक्यूमेंट थोडे ही चाहिये तो अनिल सहमति देते हुए कहता है कि जैसे पिछली बार अपन ने बिना फोटो के एनओसी रख ली थी, उससे अपना आधा काम हो जाता है। इस पर अन्य व्यक्ति कहता है कि वह कल दोनों का दस-बारह बजे तक कर देगा, फोटो की जरूरत थोडे ही पडेगी तब अनिल कहता है कि फोटो तो अपन बाद में भी लगा लेंगे। वार्ता से स्पष्ट है कि अनिल, अन्य व्यक्ति से गौरव और कमेटी सदस्यों को रिश्वत राशि देकर एनओसी प्राप्त करने के लिये कह रहा है और अन्य व्यक्ति जिसे एनओसी फर्जी तरीके से बनाने की पूर्णतया जानकारी है, वह रिश्वत राशि देने की सहमति दे रहा है।

इस प्रकार उपरोक्त वार्ताओं तथा अन्तावरोध अवधि से सम्बन्धित अन्य वार्ताओं को सुनने पर प्रकट हुआ कि श्री गौरव सिंह, जो कि सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर में लिपिकीय पद पर कार्यरत है तथा मानव अंग प्रत्यारोपण के प्रकरणों में एन.ओ.सी. जारी

करने सम्बन्धी कार्य संधारित करते है। श्री गौरव सिंह, विभिन्न चिकित्सालयों में मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी प्रशासनिक कार्य संभालने वाले अनिल-ईएचसीसी, विनोद सिंह-फोर्टिस अस्पताल एवं अन्य अस्पतालों तथा अन्य व्यक्तियों से नियमित सम्पर्क में रहकर, मरीज तथा अंग दानकर्ता से सम्बन्धित दस्तावेजों की कूटरचना कर, इन कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन कर, आपराधिक षडयंत्र की रचना करते हुए एनओसी जारी करने वाले चिकित्सकों की कमेटी के नाम से भारी मात्रा में रिश्वत राशि प्राप्त कर रहे है। श्री गौरव सिंह, प्राईवेट अस्पतालों में प्रशासनिक कार्य संभालने वाले व्यक्तियों के साथ आपसी मिलीभगत कर भारी मात्रा में रिश्वत प्राप्त कर प्राप्त रिश्वत राशि का बंटवारा भी कर रहे है।

अत: निवेदन है कि उपरोक्त सम्बन्धित संलिप्त व्यक्तियों एवं लोकसेवकों को पकडने पर सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर में कूटरचित अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आधार पर मानव अंग प्रत्यारोपण करवाये जाकर निजी चिकित्सालयों के साथ मिलीभगत कर किये जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर किया जाना एवं रिश्वत राशि की बरामदगी किया जाना संभव हो सकता है।'' उक्त गोपनीय सूत्र सूचना रिपोर्ट की पुष्ठ पर श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो द्वारा मन् सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस व श्री राजेश दुरेजा, उप अधीक्षक पुलिस के नाम पृष्ठांकित करते हुये नियमानुसर अग्रीम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उक्त पृष्ठांकित सूत्र सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.03.2024 को श्री राजेश दुरेजा, उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मन् सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर को सुपुर्द की गई। ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त उक्त गोपनीय सूत्र सूचना रिपोर्ट पर अग्रीम कार्यवाही करने के क्रम में दिनांक 31.03.2024 समय 10.00 एएम पर उच्चाधिकारियों के निर्देश प्राप्त होने पर श्री हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मन् सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री ब्रह्मप्रकाश हैड कानि. 99, श्री मनीष कुमार हैड कानि. 31, श्री सुभाष चन्द्र कानि0 नं0 592, श्रीमती पिंकी कंवर शेखावत म.का. 11, श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245, मय पूर्व से पाबन्ध शुदा स्वतंत्र गवाहन डॉ. अमित कुमार गोयल व डॉ. योगेश कुमार शर्मा मय सरकारी व निजी वाहनो मय चालकों व लेपटोप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक साजो सामान के संदिग्ध लिपिक श्री गौरव सिंह राजकीय सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर व श्री अनिल ईएचसीसी के मध्य होने वाले रिश्वत लेन-देन व सूत्र सूचना के अनुसार की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही हेतु तकनीकी अनुभाग सदस्यों से सामजंस्य रखते हुए ब्यूरो कार्यालय से 01.00 पीएम पर रवाना होकर समय 01.30 पीएम पर संदिग्धों के मध्य की जाने वाली रिश्वत राशि के लेन-देन के संभावित स्थान चन्दु चौपाटी, स्वर्ण पथ, मानसरोवर के आस-पास पहुंचकर के आस-पास पहुंचकर संदिग्धों के आने व उनके मध्य होने वाली रिश्वत राशि की लेन-देन कार्यवाही के इन्तजार में गोपनीय रूप से अपनी पहचान छुपाते हुये ट्रेप जाल बिछाकर मुकिम हुए। ट्रेप कार्यवाही के दौरान की जानी वाली फोटोग्राफी व विडियोंग्राफी को रिकॉर्ड करने हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं के मोबाईल फोन में नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32जीबी डाला गया। इस दौरान उच्चाधिकारीयों के मार्फत तकनिकी विभाग के सदस्यों से सामंजस्य बनाते हुये संदिग्धों की स्थिति के बारे में लगातार जानकारी ली ओर समय करीब 09.30 पीएम पर तकनीकी शाखा के श्री केशरसिंह

एएसआई, श्री लक्ष्मणनारायण शर्मा, हैड कानि. 15, भरत लाल, एएसआई, श्री हिम्मत सिंह हैड. कानि0 146 भी रिश्वत लेन देन के संभावित स्थान चन्दू चौपाटी की दुकान पर पहँचने पर उनसे सामंजस्य स्थापित करते हुये तकनीकी शाखा की टीम का ईशारा के इन्तजार में मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहन डॉ. अमित कुमार गोयल व डॉ. योगेश कुमार शर्मा सहित समस्त एसीबी टीम के अपनी पहचान छुपाते मुकीम हुए। समय करीब 10.00 पीएम पर चन्दु चौपाटी के पास एक एक्टीवा स्कूटी नम्बर आरजे 20 सीएस 5691 पर एक व्यक्ति काली पेन्ट व चौकड़ीदार शर्ट पहने हुये आया जिसके बारे में श्री केशरसिंह एएसआई ने गोपनीय रूप से मन् टीएलओं को संभावित संदिग्ध श्री अनिल ईटरनल हॉस्पिटल होना बताया तथा समय करीब 10.30 पीएम पर एक अन्य व्यक्ति एक्टीवा स्कूटी नम्बर आरजे 14 वाईडी 1308 पर नीली रंग की जिन्स पेन्ट व सफेद शर्ट पहने हुये चन्दु चौपाटी पर आया जिसके बारे में श्री केशरसिंह एएसआई ने गोपनीय रूप से मन् टीएलओ को ईशारा कर संभावित संदिग्ध व्यक्ति लिपिक गौरव सिंह एसएमएस अस्पताल होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा समस्त हमराह एसीबी टीम को गोपनीय रूप से अलर्ट कर उक्त दोनो संदिग्ध व्यक्तियों के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन होने के इन्तजार में मुकिम हुये। चन्दु चौपाटी पर आने के पश्चात उक्त दोनो संदिग्धों व्यक्तियो द्वारा चन्दू चौपाटी के आगे खडे होकर कुछ समय तक एक दुसरे सें बातचीत की जाकर श्री गौरव सिंह द्वारा अपने पास से कुछ कागजात श्री अनिल को दिये गये। समय करीब 10.38 पीएम पर संदिग्ध श्री अनिल द्वारा दूसरे संदिग्ध श्री गौरव सिंह के साथ उसकी स्कूटी के पास जाकर अपनी पहनी पेन्ट की बांई जेब में से रिश्वत राशि निकालकर श्री गौरव सिंह के हाथ में दी जिसको श्री गौरव सिंह ने अपने हाथ में लेकर बिना गिने ही अपनी एक्टीवा स्कूटी की सीट को चाबी से खोलकर सीट के नीचे बनी डिग्गी में रख लिये और सीट को वापिस नीचे कर दिया उसी समय मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान व हमराही जाप्ता के उक्त दोनो संदिग्ध व्यक्तियों को काबू कर डिटेन किया और मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व स्वतंत्र गवाहन मय टीम का परिचय देकर दोनो संदिग्ध व्यक्तियों से संक्षिप्त में नाम पता पूछा तो एक व्यक्ति ने अपना नाम गौरव सिंह राठौड़, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एसएमएस अस्पताल जयपुर व दुसरे ने अपना नाम अनिल कुमार जोशी ट्रान्सप्लान्ट कोर्डिनेटर मेल नर्स, ईएचसीसी अस्पताल जयपुर बताया। उक्त डिटेनशुदा दोनो व्यक्तियो से उनके मोबाईल फोन लेकर कब्जा एसीबी लिये जाकर श्री हिम्मत सिंह हैड कानि. 146 के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात श्री गौरव सिंह राठौड़ से उसकी स्कूटी की डिग्गी को खुलवाया गया तो उसमें 500-500 रूपयो के नोट की दो गड्डी मिली। जिनकों उपस्थित स्वतन्त्र गवाह डॉ. अमित कुमार गोयल से गिनवाये गये तो एक गड्डी मे 500-500 रूपयो के 80 नोट कुल राशि 40 हजार व दूसरी गड्डी मे 500-500 के 60 नोट मिले जो कुल राशि 70 हजार रूपये हुये। उक्त राशि को संदिग्ध मानते हुये कब्जा एसीबी ली जाकर स्वतन्त्र गवाह डॉ. श्री अमित कुमार गोयल के पास सुरक्षित रखवाई गई। उक्त राशि के बारे में उपस्थित श्री गौरव सिंह राठौड व श्री अनिल कुमार जोशी से पूछा तो श्री गौरव सिंह ने बताया कि ईएचसीसी हॉस्पीटल जयपुर के मरीज की किडनी ट्रान्सप्लॉट करने की एनओसी देने की एवज में श्री अनिल कुमार जोशी से प्रति एनओसी के 35 हजार रूपये लेना बताया और मैने आज अभी

तीन एनओसी अनिल कुमार को दी है। उक्त एनओसी के बदले अनिल कुमार ने मुझे 70 हजार रूपये दिये। जिसकी ताईद अनिल कुमार जोशी के द्वारा भी की गई और तीनो एनओसी अपने पास होना बताया जिस पर अनिल कुमार जोशी से उक्त तीनो एनओसी लेकर कब्जा एसीबी लिया गया। जिनको पृथक से जरिये फर्द जप्त किया गया। दोनो संदिग्ध व्यक्तियों के दोनो दुपहिया वाहन एक्टिवा स्कूटी को सुरक्षार्थ कब्जा एसीबी लिया गया जिनको पृथक से जरिये फर्द जब्त किया गया। घटना स्थल मुख्य सडक आम व बाजार है जहां पर लोगो व वाहनो की भीडभाड होने के कारण आगे की घटना स्थल पर आगे की कार्यवाही करने में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, अत: उक्त संभावनाओं को देखते हुये अग्रीम कार्यवाही हेतु मन् टीएलओ मय दोनो आरोपीगण, दोनो स्वतन्त्र गवाहान, कब्जा शुदा दोनो स्कूटीयों व हमराही जाप्ता व साजो सामान के सरकारी व निजी वाहनों से नजदीकी सुरक्षित स्थान पुलिस थाना शिप्रापथ, जयपुर के लिए रवाना हुये। समय 10.52 पीएम पर मन् सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो आरोपीगण, कब्जा शुदा स्कूटी व हमराहीयान जाप्ता के पुलिस थाना शिप्रापथ पहुंच आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व थाना इंचार्ज से अनुसंधान कक्ष में अग्रीम कार्यवाही के लिए मौखिक अनुमति लेकर कार्यवाही शुरू की गई। तत्पश्चात् मन् टीएलओ द्वारा डिटेनशुदा श्री अनिल कुमार जोशी व श्री गौरव सिंह से पृथक-पृथक नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम अनिल कुमार जोशी पुत्र श्री सीताराम जोशी, उम्र 30 साल निवासी ग्राम आभानेरी, पुलिस थाना बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा वर्तमान किरायेदार मकान नं. 1165, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर हाल ट्रान्सप्लांट कोर्डिनेटर मेल नर्स, ईटरनल होस्पीटल (ईएचसीसी), जवाहर सर्किल, जयपुर व दुसरे ने अपना नाम गौरव सिंह राठौड़ पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह, उम्र 33 साल, निवासी 13/239, कावेरी पथ, नियर अमित बाल विद्या मन्दिर स्कूल, पुलिस थाना वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मानव अंग प्रत्यारोपण विभाग, एसएमएस अस्पताल जयपुर बताया। जिनसे पृथक-पृथक पूछताछ प्रारम्भ की गई। श्री अनिल कुमार जोशी से संदिग्ध राशि 70000/- रूपयों के संबंध में पूछताछ व स्पष्टीकरण लिया गया तो उसने बताया कि मै ईएचसीसी अस्पताल जवाहर सर्किल जयपुर में ट्रान्सप्लान्ट कोर्डिनेटर मेल नर्स के पद पर पदस्थापित हूं। मै राजकीय सवाई मान सिंह, अस्पताल जयपुर में पदस्थापित श्री गौरव जी से किडनी ट्रान्सप्लाट करवाने वाले मरीजों की एनओसी लाने का कार्य करता हूं। उक्त एनओसी प्राप्त करने की एवज में मै सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर के अंग प्रत्यारोपन विभाग में एएओ के पद पर पदस्थापित श्री गौरव सिंह जी को 35000/- रूपये प्रति मरीज के हिसाब से रूपये देता हूं तथा 35000/- रूपये प्रति मरीज स्वयं के लिए रखता हूं। आज रात करीब 10.30 बजे मैने श्री गौरव जी से तीन मरीजो की एनओसी प्राप्त कर दो एनओसी के 70000/- रूपये दिये थे, एक एनओसी जिसके रूपये पहले ही दे चुका था, उक्त एनओसी आज करेक्शन करने के बाद मुझे वापस दी है। आज दो एनओसी के दिये गये 70000/- रूपये गौरव ने अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख लिये थे। उक्त राशि आपके द्वारा जब्त कर ली है। मेरे से गलती हो गई। तदुपरान्त श्री गौरव सिंह राठौड़ से पूछताछ व स्पष्टीकरण लिया गया तो उसने बताया कि मै राजकीय सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में मानव अंग प्रत्यारोपण विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थापित हूं। आज रात को मेरे व ईएचसीसी, जवाहर

सर्किल, जयपुर मे कार्यरत श्री अनिल जोशी के बीच मोबाईल पर वार्ता हुई थी। जिस पर रात को करीब 10.30 बजे अनिल कुमार जोशी मेरे से तीन मरीजो की एनओसी लेने आया था, मैने अनिल जोशी को तीन मरीजो की एनओसी देकर दो एनओसी की एवज में 70,000/- रूपये प्राप्त किये थे, एक एनओसी के पहले ही ले चुका था। जो मैने अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख लिये थे जो आपने मेरी स्कूटी की डिग्गी से बरामद कर लिये। मै पहले भी श्री अनिल कुमार जोशी को कई बार मरीजों की एनओसी दे चुका हूं। उक्त एनओसी पर कमेटी मैम्बर्स तथा चिकित्सा अधीक्षक के स्थान पर मेरे द्वारा फर्जी साईन किये गये तथा चिकित्सा अधीक्षक की सील भी मेरे द्वारा ही लगाई गई। आज अनिल जोशी को दी गई तीन एनओसी में से दो एनओसी पर फोटो लगी हुई नही है, फोटो बाद में लगाता। मै एनओसी पर डिस्पेट नम्बर यादास्त के हिसाब से डाल देता था परन्तु डिस्पेच रजिस्टर में डिस्पेट नम्बर अंकित नही करता हूं। मैने आज अनिल जोशी से प्राप्त किये 70,000/- रूपये की अनिल जोशी को कोई रसीद नही दी। ट्रान्सप्लांट की एनओसी के लिए मेरे से ईटरनल होस्पीटल से अनिल जोशी, महात्मा गांधी होस्पीटल से किशोर, निम्स हॉस्पिटल से राजू व नारायणा होस्पिटल से निधि ट्रान्सप्लान्ट कॉर्डिनेटर सम्पर्क करते थे। मेरे से गलती हो गई। तदुपरान्त संदिग्ध श्री गौरव सिंह राठौड़ व अनिल कुमार जोशी को आमने- सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो श्री अनिल कुमार जोशी ने बताया कि मै पिछले करीब एक साल से गौरव जी को जानता हूं और आज मैने दो मरीजो की एनओसी के 70,000/- रूपये दिये थे तथा एक एनओसी के रूपये मे पहले ही दे चुका था। मै किडनी ट्रान्सप्लांट के मरीजों से 70,000/- रूपये प्रति मरीज एनओसी देने के लेता हूं जिनमें से 35000/- रूपये गौरव जी को देता हूं तथा 35000/- रूपये अपने लिए रखता हूं। मेरे से गलती हो गई। इसी प्रकार श्री गौरव सिंह राठौड से पूछने पर उसने आरोपी श्री अनिल कुमार जोशी के कथनो की ताईद करते हुये बताया कि मै करीब एक साल से अनिल जोशी को जानता हूं। मुझे याद नही है कि अब तक इन्होने मेरे से कितने मरीजो की एनओसी प्राप्त की है। आज रात मेरे व श्री अनिल जोशी के बीच मोबाईल पर वार्ता हुई थी जिस पर रात को करीब 10.30 बजे अनिल जोशी मेरे से तीन मरीजो की एनओसी लेने आया था, जिनमें से एक मरीज की एनओसी के पैसे पहले ही दे चुका था। श्री अनिल जोशी मुझे 35,000/- रूपये प्रति एनओसी के हिसाब से दो एनओसी के आज मुझे 70,000/- रूपये दिये। इसके अलावा मुझे नही पता कि ये उक्त एनओसी के मरीजों से अनिल कुमार कितने रूपये लेता है। उक्त एनओसी पर कमेटी मैम्बर्स तथा चिकित्सा अधीक्षक के स्थान पर मेरे द्वारा ही फर्जी साईन किये गये तथा चिकित्सा अधीक्षक की सील भी मेरे द्वारा ही लगाई गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री गौरव सिंह राठौड़ की ग्रे रंग की स्कूटी नं. आरजे 14 वाईडी 1308 की डिग्गी से बरामद रिश्वत राशि 70,000/- रूपये सुरक्षित स्वतन्त्र गवाहान श्री अमित कुमार गोयल के पास रखवाई गई थी उक्त रिश्वत राशि को पुन: गिनवाया जाकर बतौर वजह सबूत जब्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान घटनास्थल से आरोपी श्री अनिल कुमार जोशी का मोबाईल आईफोन 12 प्रो, मो.नं. 9694005925, रंग मैटेलिक ग्रे है व पासवर्ड 122333 है तथा आरोपी श्री गौरव सिंह राठौड़ का मोबाईल फोन वीवो वाई200 5जी, मो.नं. 6378756633, बरंग मेटेलिक डार्कग्रीन जिसके पासवर्ड 6378 है, को कब्जा एसीबी लिये

गये थे जिनको सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया जिनके संबंध में आईन्दा अनुसंधान किया जायेगा। तत्पश्चात सुरक्षार्थ थाना परिसर में खड़ी करवाई गई आरोपीगण श्री अनिल कुमार जोशी की सफेद रंग की स्कूटी नं. आरजे 20 सीएस 5691 व श्री गौरव सिंह राठौड़ की ग्रे रंग की स्कूटी नं. आरजे 14 वाईडी 1308 की नियमानुसार पृथक से खाना तलाशी ली जाकर उक्त दोनो स्कूटीयों को जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जायेगा। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आवश्यकतानुसार विडियोग्राफी की गई। उपरोक्तानुसार आरोपीगण से की गई पूछताछ, बरामद रिश्वत राशि 70,000/- रूपये एवं अन्तावरोध वार्ताओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि आरोपी श्री गौरव सिंह राठौड़, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मानव अंग प्रत्यारोपण विभाग, राजकीय सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर द्वारा सवाई मान सिंह चिकित्सालय में मानव अंग प्रत्यारोपण के प्रकरणों को निजी चिकित्सालयों में भेजे जाने के लिये जारी किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में नियमित रूप से निजी चिकित्सालयों के उत्तरदायी व्यक्तियों से मिलकर आपसी मिलीभगत से, निर्धारित मानकों का उल्लघंन कर, उक्त एनओसी पर कमेटी मैम्बर्स तथा चिकित्सा अधीक्षक के स्थान पर फर्जी हस्ताक्षर व सील लगाकर कूटरचना कर अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार कर, सम्बन्धित निजी चिकित्सालयों को भारी मात्रा में अनुचित लाभ पहुंचाया जाने तथा इस अवैध कार्य की एवज में स्वयं द्वारा नियमित रूप से भारी मात्रा में रिश्वत राशि की मांग की जाकर अवैद्य पारितोषण प्राप्त किये जाने के क्रम में आरोपी श्री अनिल कुमार जोशी, ट्रान्सप्लान्ट कोर्डिनेटर मेल नर्स, ईएचसीसी अस्पताल जवाहर सर्किल, जयपुर का तीन मरीजों की किडनी ट्रान्सप्लाट करने की फर्जी एनओसी जारी करने तथा दो एनओसी की एवज में दिनांक 31.03.2024 को 70,000/- रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त करना पाया गया है तथा आरोपी श्री अनिल कुमार जोशी ट्रान्सप्लान्ट कोर्डिनेटर मेल नर्स, ईटरनल होस्पीटल (ईएचसीसी), जवाहर सर्किल, जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा श्री गौरव सिंह राठौड़ के साथ आपराधिक मिलीभगत कर आरोपी गौरव सिंह राठौड़ की मांग के अनुरूप फर्जी एनओसी प्राप्त करने की एवज में 70,000/- रूपये बतौर रिश्वत राशि देना पाया गया। अत: संदिग्ध आरोपिगण (1) श्री गौरव सिंह राठौड़ पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह, उम्र 33 साल, निवासी 13/239, कावेरी पथ, नियर अमित बाल विद्या मन्दिर स्कूल, पुलिस थाना वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मानव अंग प्रत्यारोपण विभाग, एसएमएस अस्पताल जयपुर एवं (2) श्री अनिल कुमार जोशी पुत्र श्री सीताराम जोशी, उम्र 30 साल निवासी ग्राम आभानेरी, पुलिस थाना बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा वर्तमान किरायेदार मकान नं. 1165, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर हाल ट्रान्सप्लान्ट कोर्डिनेटर मेल नर्स, ईटरनल होस्पीटल (ईएचसीसी), जवाहर सर्किल, जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध अपराध अर्न्तगत धारा 7, 8, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) सपठित धारा 420, 467, 468 व 120बी भा.द.सं. प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। दोनो आरोपीगण अनिल कुमार व गौरव को नियमानुसार अपनी-अपनी आवाज का नमूना देने के संबंध में कमश: पृथक-पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर दोनो आरोपीगण ने अपनी-अपनी आवाज का नमूना देने से पृथक-पृथक इन्कार किया। अत: आरोपीगण (1) श्री गौरव सिंह राठौड़ पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह, उम्र 33 साल, निवासी 13/239, कावेरी पथ, नियर अमित बाल विद्या मन्दिर स्कूल, पुलिस थाना वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर हाल

Suresh

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मानव अंग प्रत्यारोपण विभाग, एसएमएस अस्पताल जयपुर व (2) श्री अनिल कुमार जोशी पुत्र श्री सीताराम जोशी, उम्र 30 साल निवासी ग्राम आभानेरी, पुलिस थाना बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा वर्तमान किरायेदार मकान नं. 1165, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर हाल ट्रान्सप्लान्ट कोर्डिनेटर मेल नर्स, ईटरनल होस्पीटल (ईएचसीसी), जवाहर सर्किल, जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) का कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7, 8, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) सपठित धारा 420, 467, 468 व 120बी भा.द.सं. प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर गिरफ्तारी के कारणो व आधारो की पूर्ण सूचना दी जाकर संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारो से अवगत कराकर पूर्ण पालना करते हुए बाद पूछताछ व जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द पृथक-पृथक गिरफतार किया गया। उक्त गोपनीय ट्रैप कार्यवाही में आरोपीगण गौरव सिंह राठौड़ व अनिल कुमार जोशी के मोबाईल अन्तावरोध पर होने से ब्यूरो मुख्यालय पर उक्त वार्ताऐ दर्ज रिकॉर्ड है। जिनका विश्लेषण कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाये जाने पर आरोपीगणो की आपसी मिलिभगत, प्राप्त की गई रिश्वत राशि के साक्ष्य व रिश्वत प्राप्त करने व देने के विस्तृत तथ्य प्रकट होंगे एवं तदुपरान्त रिश्वत राशि के संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जावेगा। प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही करते हुये गिरफतार शुदा आरोपी श्री अनिल कुमार जोशी की मुताबिक ईतिला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की पालना में नियमानुसार ईटरनल होस्पीटल से किडनी ट्रान्सप्लांट से संबंधित प्राप्त एनओसी से संबंधित कुल 16 पत्रावलीयां व एक रजिस्टर को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्ती अभिलेख नियमानुसार पृथक से तैयार किया गया एवं उक्त बरादमगी स्थान का नक्शा-मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इसी प्रकार गिरफतार शुदा आरोपी श्री गौरव सिंह राठौड़ की मुताबिक ईतिला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की पालना में नियमानुसारएसएमएस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर की रबर स्टाम्प को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा कक्ष 37H को खोलकर अलग-अलग मैज पर पड़ी कई फाईलो में से इटरनल हॉस्पिटल की अंग प्रत्यारोपण सम्बंधित एनओसी की मूल 16 पत्रावलियां को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्ती अभिलेख नियमानुसार कब्जा एसीबी लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। सूत्र सूचना एवं अन्तावरोध वार्ताओं से प्रकट हुये तथ्यों से संदिग्ध श्री विनोद सिंह, फोर्टिस अस्पताल की भूमिका अत्यन्त संदिग्ध होने से बाद अनुसंधान श्री विनोद सिंह पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 43 साल, निवासी- प्लाट नम्बर 10, सरस्वती कॉलोनी, पुलिस थाना-सांगानेर, जयपुर हाल मानव अंग प्रत्यारोपण कॉडिनेटर, फोर्टिस अस्पताल जयपुर से अनुसंधान कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी गिरफतार किया गया तथा आरोपी श्री विनोद सिंह कि कब्जा से बरामद किये गये दो मोबाईल फोन, एक काले रंग का बैग व उसमें रखा अन्य सामान/दस्तावेजात को जरिये फर्द जब्ती पृथक से कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार गिरफतार शुदा आरोपी श्री विनोद सिंह के द्वारा मुताबिक ईतिला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की तस्दीक करवाई तथा मुताबिक ईतिला फोर्टिस अस्पताल, जयपुर से अंग प्रत्यारोपण से संबंधित संदिग्ध पत्रावलीयों को जरिये फर्द जप्ती अभिलेख नियमानुसार कब्जा एसीबी लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

Suresh

प्रकरण में अब तक की गई गोपनीय ट्रेप कार्यवाही, आरोपीगण से की गई पूछताछ, बरामद रिश्वत राशि 70,000/- रूपये एवं अन्तावरोध वार्ताओं के विश्लेषण से आरोपी श्री गौरव सिंह राठौड़, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मानव अंग प्रत्यारोपण विभाग, राजकीय सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर द्वारा सवाई मान सिंह चिकित्सालय में मानव अंग प्रत्यारोपण के प्रकरणों को निजी चिकित्सालयों में भेजे जाने के लिये जारी किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में नियमित रूप से निजी चिकित्सालयों के उत्तरदायी व्यक्तियों से मिलकर आपसी मिलीभगत से, निर्धारित मानकों का उल्लघंन कर, उक्त एनओसी पर कमेटी मैम्बर्स तथा चिकित्सा अधीक्षक के स्थान पर फर्जी हस्ताक्षर व सील लगाकर कूटरचना कर अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार कर, सम्बन्धित निजी चिकित्सालयों को भारी मात्रा में अनुचित लाभ पहुंचाया जाने तथा इस अवैध कार्य की एवज में स्वयं द्वारा नियमित रूप से भारी मात्रा में रिश्वत राशि की मांग की जाकर अवैद्य पारितोषण प्राप्त किये जाने के क्रम में आरोपी श्री अनिल कुमार जोशी, ट्रान्सप्लान्ट कोर्डिनेटर मेल नर्स, ईएचसीसी अस्पताल जवाहर सर्किल, जयपुर से तीन मरीजों की किडनी ट्रान्सप्लाट करने की फर्जी एनओसी जारी करने तथा दो एनओसी की एवज में दिनांक 31.03.2024 को 70,000/- रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त करना पाया गया है तथा आरोपी श्री अनिल कुमार जोशी ट्रान्सप्लान्ट कोर्डिनेटर मेल नर्स, ईटरनल होस्पीटल (ईएचसीसी), जवाहर सर्किल, जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा श्री गौरव सिंह राठौड़ के साथ आपराधिक मिलीभगत कर आरोपी गौरव सिंह राठौड़ की मांग के अनुरूप फर्जी एनओसी प्राप्त करने की एवज में 70,000/- रूपये बतौर रिश्वत राशि देना तथा आरोपी श्री विनोद सिंह मानव अंग प्रत्यारोपण कॉडिनेटर, फोर्टिस अस्पताल जयपुर द्वारा श्री गौरव सिंह राठौड़ के साथ आपराधिक मिलीभगत कर आरोपी गौरव सिंह राठौड़ की मांग के अनुरूप फर्जी एनओसी प्राप्त करने की एवज रिश्वत राशि का लेन-देन करना पाया गया। अतः आरोपिगण (1) श्री गौरव सिंह राठौड़ पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह, उम्र 33 साल, निवासी 13/239, कावेरी पथ, नियर अमित बाल विद्या मन्दिर स्कूल, पुलिस थाना वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मानव अंग प्रत्यारोपण विभाग, एसएमएस अस्पताल जयपुर (2) श्री अनिल कुमार जोशी पुत्र श्री सीताराम जोशी, उम्र 30 साल निवासी ग्राम आभानेरी, पुलिस थाना बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा वर्तमान किरायेदार मकान नं. 1165, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर हाल ट्रान्सप्लान्ट कोर्डिनेटर मेल नर्स, ईटरनल होस्पीटल (ईएचसीसी), जवाहर सर्किल, जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) एवं (3) श्री विनोद सिंह पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 43 साल, निवासी- प्लाट नम्बर 10, सरस्वती कॉलोनी, पुलिस थाना-सांगानेर, जयपुर हाल मानव अंग प्रत्यारोपण कॉडिनेटर, फोर्टिस अस्पताल जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध अपराध अर्न्तगत धारा 7, 8, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) सपठित धारा 420, 467, 468 व 120बी भा.द.सं. प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

प्रकरण में सूत्र सूचना रिपोर्ट, जप्तशुदा संदिग्ध फर्जी एनओसी एवं अनुसंधान आरोपीगण से सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर, फोर्टिस होस्पिटल जयपुर, ईएचसीसी जयपुर व राजस्थान के अन्य होस्पिटल के जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध प्रतित होती है, इस संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाकर स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा।

अतः आरोपीगण (1) श्री गौरव सिंह राठौड़ पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह, उम्र 33 साल, निवासी 13/239, कावेरी पथ, नियर अमित बाल विद्या मन्दिर स्कूल, पुलिस थाना वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मानव अंग प्रत्यारोपण विभाग, एसएमएस अस्पताल जयपुर (2) श्री अनिल कुमार जोशी पुत्र श्री सीताराम जोशी, उम्र 30 साल निवासी ग्राम आभानेरी, पुलिस थाना बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा वर्तमान किरायेदार मकान नं. 1165, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर हाल ट्रान्सप्लान्ट कोर्डिनेटर मेल नर्स, ईटरनल होस्पीटल (ईएचसीसी), जवाहर सर्किल, जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) एवं (3) श्री विनोद सिंह पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 43 साल, निवासी- प्लाट नम्बर 10, सरस्वती कॉलोनी, पुलिस थाना-सांगानेर, जयपुर हाल मानव अंग प्रत्यारोपण कॉडिनेटर, फोर्टिस अस्पताल जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) व अन्य लोक सेवक एवं प्राईवेट व्यक्तियों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 8, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) सपठित धारा 420, 467, 468 व 120बी भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ड्राफ्ट 6 प्रतियों में वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सुरेश कुमार स्वामी)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7, 8, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, व 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री गौरव सिंह राठौर पुत्र स्व.श्री सरदार सिंह, निवासी 13/239, कॉवेरी पथ नियर अमित बाल विद्या मन्दिर स्कूल, पुलिस थाना वरूण पथ मानसरोवर, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मानव अंग प्रत्यारोपण विभाग, एसएमएस अस्पताल, जयपुर, 2. श्री अनिल कुमार जोशी पुत्र श्री सीताराम जिला दौसा निवासी ग्राम आभानेरी, पुलिस थाना बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा वर्तमान किरायेदार मकान नम्बर 1165, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर हाल ट्रांसप्लान्ट कोर्डिनेटर मेल नर्स, ईटरनल हॉस्पीटल (ईएचसीसी), जवाहर सर्किल, जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) 3. श्री विनोद सिंह पुत्र स्व.श्री जगदीश प्रसाद, निवासी प्लाट नम्बर 10, सरस्वती कॉलोनी, पुलिस थाना सांगानेर, जयपुर हाल मानव अंग प्रत्यारोपण कॉडिनेटर, फोर्टिस अस्पताल, जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) 4. अन्य लोक सेवक एवं प्राईवेट व्यक्ति के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54/2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर प्रथम, जयपुर को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई।

02/04/24

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः– 257–60 दिनांक 02.04.2024

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या–प्रथम।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर–तृतीय, जयपुर।

पुलिस अधीक्षक–प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।